

ऑवर द टॉप (OTT) वनियिमन हेतु: प्रसारण सेवा वनियिमन वधीयक 2023 का मसौदा

यह एडटोरियल 16/11/2023 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Regulating OTT: Draft Broadcasting Regulation Bill may be an attempt to control digital infrastructure" लेख पर आधारित है। इसमें प्रसारण सेवा (वनियिमन) वधीयक, 2023 के प्रवेश के बारे में चर्चा की गई है और विचार किया गया है कि वधीयक का ध्यान वास्तव में सार्वजनिक सेवा पर है या सरकार नियंत्रण एवं वनियिमन बढ़ाना चाहती है।

प्रलिमिस के लिये:

प्रसारण सेवा (वनियिमन) वधीयक, 2023, [केबल टेलीविजन नेटवरक \(वनियिमन\) अधनियम, 1995, ओटीटी प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया वनियिमन](#)।

मेन्स के लिये:

प्रसारण सेवा वनियिमन वधीयक 2023 के मसौदे की मुख्य वशिष्टताएँ, वधीयक के पक्ष में तरक, वधीयक के विपक्ष तरक, भारत में प्रभावी प्रसारण वनियिमन के हेतु आगे की राह।

वर्ष 1995 का केबल टेलीविजन नेटवरक (वनियिमन) अधनियम, जो तीन दशकों से ऐस्ट्रेक्ट प्रसारण को नियंत्रित करता रहा है, प्रौद्योगिकीय प्रगति और DTH, IPTV एवं OTT जैसे नए प्लेटफॉर्मों के उद्भव के कारण चुनौतियों का सामना कर रहा है।

इस परदृश्य में, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल प्रसारण क्षेत्र में नियमक ढाँचे को सुव्यवस्थित करने के लिये एक व्यापक कानून की आवश्यकता को चहिनति करते हुए प्रसारण सेवा (वनियिमन) वधीयक 2023 (Broadcasting Services (Regulation) Bill, 2023) प्रस्तावित किया है।

यह वधीयक—जो उभरते मीडिया उद्योग के लिये एक दूरदरशी एवं अनुकूलनीय ढाँचा प्रतीत होता है, भारत में प्रसारण वनियिमन के भविष्य के लिये दिशा तय कर रहा है।

प्रसारण सेवा (वनियिमन) मसौदा वधीयक 2023 की मुख्य वशिष्टताएँ

- समेकन और आधुनिकीकरण :
 - यह एकल वधीयकी ढाँचे के अंतर्गत वभिन्न प्रसारण सेवाओं के लिये नियमक प्रावधानों को समेकति एवं अद्यतन करने की दीर्घ अपेक्षित आवश्यकता को संबोधित करता है।
 - **यह ऑवर-द-टॉप (OTT)** कंटेंट और डिजिटल समाचार एवं समसामयिक मामलों के प्रसारण को शामिल करने के लिये अपने नियमों के माध्यम से वनियिमति होते हैं।
- समसामयिक प्रभाषण और भविष्योन्मुख प्रावधान :
 - उभरती प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये, यह वधीयक समकालीन प्रसारण शर्तों के लिये व्यापक प्रभाषण ऐप्स करता है और उभरती प्रसारण प्रौद्योगिकियों के लिये प्रावधानों को शामिल करता है।
- स्व-नियमन व्यवस्था को सुदृढ़ करना :
 - यह कंटेंट मूल्यांकन समितियों (Content Evaluation Committees) के प्रवेश के साथ स्व-नियमन (Self-Regulation) को बढ़ाता है और मौजूदा अंतर-वभागीय समिति को अधिक सहभागी एवं व्यापक प्रसारण सलाहकार परिषद (Broadcast Advisory Council) के रूप में विकसित करता है।
- वभिदति कार्यक्रम कोड और वजिज्ञापन कोड :
 - यह वभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम एवं वजिज्ञापन कोड (Programme and Advertisement Codes) के लिये एक वभिदति दृष्टकोण की अनुमति देता है और प्रसारकों (broadcasters) द्वारा स्व-वर्गीकरण एवं प्रतिविधित सामग्री के लिये सुदृढ़ पहुँच नियंत्रण उपायों की आवश्यकता रखता है।
- दिव्यांगजनों के लिये अभिगम्यता :
 - यह वधीयक व्यापक अभिगम्यता दिशानिर्देशों (comprehensive accessibility guidelines) के मुद्दे के लिये सक्षमकारी प्रावधान

प्रदान कर [दिव्यांगजनों](#) की वशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधिति करता है।

- **वैधानिक दंड और जुर्माना:**
 - मसौदा विधियक ऑपरेटरों और प्रसारकों के लिये सलाह, चेतावनी, नियंत्रण या मौद्रिक दंड जैसे वैधानिक दंड पेश करता है।
 - कारावास और/या जुर्माने का प्रावधान बनाये रखा गया है, लेकिन केवल अत्यंत गंभीर अपराधों/उल्लंघनों के लिये, ताकि विनियमन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित हो सके।
- **न्यायसंगत दंड:**
 - निषिकृति और समानता सुनिश्चिति करने के लिये मौद्रिक दंड और जुर्माना नियम की वित्तीय क्षमता से संबद्ध रखे गए हैं, जहाँ उनके निविश और टर्नओवर को ध्यान में रखा जाता है।
- **इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरगी, प्लेटफॉर्म सेवाएँ और 'राइट ऑफ वे':**
 - विधियक में प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटरों के बीच अवसंरचना को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाओं के वहन के प्रावधान भी शामिल हैं।
 - इसके अलावा, यह स्थानांतरण (relocation) और परविरतनों (alterations) को अधिक कुशलता से संबोधिति करने के लिये 'राइट ऑफ वे' (Right of Way) खंड को सुव्यवस्थिति करता है और एक संरचना विवाद समाधान तंत्र स्थापित करता है।

Key Features

The bill covers **broadcasters, cable and satellite broadcasting networks, radio, and internet broadcasting**

It defines OTT

Proposes compliance with Advertising and Programming Code



Broadcast Advisory Council
for grievance redressal




Proposes penalties for code violations

विधियक के पक्ष में कौन-से तरक हैं?

- **अद्यतन विधिकि ढाँचा:**
 - यह विधियक [केवल टेलीविजिन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995](#) से एक परविरतन को इंगति करता है।
 - इसे सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा एक 'महत्वपूर्ण विधिय' के रूप में वरणति किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य नियामक ढाँचे को आधुनिक बनाना और OTT, डिजिटल मीडिया, DTH, IPTV और उभरती प्रौद्योगिकियों की गतिशील दुनिया को अपनाना है।
 - यह [दिव्यांगजन](#) समुदाय के लिये व्यापक अभियान दशानन्दिश भी प्रदान करता है।
- **प्रसारकों को सशक्त बनाना:**
 - यह स्व-विनियमन तंत्र के साथ प्रसारकों को सशक्त बनाने के प्रावधानों का प्रवेश कराता है।
 - यह नियामक नियमित विनियमन और उद्योग स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने का लक्ष्य रखता है।
- **कोड के प्रतिविवेदित दृष्टिकोण:**
 - मसौदा विधियक विभिन्न सेवाओं में कार्यक्रम और विज्ञापन कोड के लिये 'एक विवेदित दृष्टिकोण' (a differentiated approach) की भी अनुमति देता है।
 - विवेदित दृष्टिकोण की अनुमति देकर, विनियमों को रैखिक और ऑन-डिमांड कंटेंट की प्रकृति के अनुरूप बनाया जा सकता है, जिससे

कंटेंट नरिमाताओं के लिये अधिक लचीलापन एवं प्रासंगिकता प्रदान की जा सकती है।


- **नष्टप्रकृता के उपाय:**
 - इस विधिक के तहत, नष्टप्रकृता के लिये मौद्रिक दंड को निकाय के निवेश और कारोबार(टर्न ऑवर) से संबंध किया गया है। निकाय की वित्तीय स्थितिके आधार पर दंड अनुपातिक रूप से नरिधारति किया जाता है।
 - सीमित वित्तीय क्षमता वाले छोटे निकायों की तुलना में अधिक निवेश और टर्नऑवर वाले बड़े निगमों को अधिक जुरमाने का सामना करना पड़ सकता है।
- **हतिधारक भागीदारी:**
 - विधिक सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से हतिधारकों की भागीदारी को इंगति करता है। उदयोग एकीकृत कानून के लिये सरकार की पहल का स्वागत कर रहा है और उम्मीद कर रहा है कि इससे अनुपालन एवं प्रवरत्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा।



विधिक के विपक्ष में कौन-से तरक हैं?

- **नियंत्रण एवं वनियमन की आशंकाएँ:**
 - विधिक इस संबंध में चति को जन्म देता है कि इसका ध्यान वास्तव में सार्वजनिक सेवा पर है या सरकार नियंत्रण एवं वनियमन बढ़ाने की मंशा रखती है।
 - ऐसी आशंकाएँ हैं कि यह विधिक डिजिटल अवसरचना और नागरिकों के देखने के विकल्प (viewing choices) पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ा सकता है।
- **मसौदे में मौजूद अस्पष्ट प्रावधान:**
 - मसौदे में एक विशिष्ट प्रावधान (बहु 36), व्यापक एवं अस्पष्ट भाषा पर बल देता है जो अधिकारियों को कंटेंट को प्रतिबिंधित करने की शक्ति प्रदान करता है।
 - यह सरकार के निर्देशन में कार्य करने वाले 'अधिकृत अधिकारियों' के प्रभाव के संबंध में सवाल उठाता है।
- **अल्पसंख्यक समुदायों पर संभावति प्रभाव:**
 - विधिक को लेकर यह चति जताई गई है कि यह भारतीय अल्पसंख्यक समुदायों के उनमूलन या चयनात्मक प्रतिविधिति को जन्म दे सकता है।
 - मसौदे में अस्पष्ट भाषा का उपयोग भारत की सार्वभौमिक बहुसंख्यक पहचान को बढ़ावा देने के लिये किया जा सकता है।
- **केबल वनियमन से संबंधित मुद्दे:**
 - केबल टेलीविजिन नेटवर्क (वनियमन) अधिनियम, 1995 का उद्देश्य शुरू में अवैध केबल ऑपरेटरों पर अंकुश लगाना था, लेकिन ऑपरेटरों, राजनेताओं, उदयमयों और प्रसारकों की सांठगांठ के कारण इसमें पारदर्शिता की कमी थी।
 - नया विधिक भारतीय मीडिया उद्योग के भीतर हितों के टकराव और अपारदर्शी अभ्यासों सहित मौजूदा अधिनियम के कार्यान्वयन में व्याप्त खामयों एवं समस्याओं को संबोधित करने में वफिल रहा है।
- **सरकार के भरोसे की कमी:**
 - विधिक को मीडिया वनियमन के साथ सत्तारूढ़ सरकार के हालिया इतिहास की रोशनी में भी देखा जा रहा है, जो अधूरे वादों और संदर्भों परणियों के एक पैटर्न को उजागर करता है।
 - विधिक को राष्ट्रीय कल्याण के लिये पेश किये गए विवादास्पद आईटी नियम, 2021 के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है।

- ओलगोपोलसिट्कि मीडिया स्वामतिव की प्रवृत्तियाँ:
 - ‘सांस्कृतिक आक्रमण’ और ‘राष्ट्र-वरिधी’ प्रोग्रामों पर बहस के बीच, सरकारी अधिकारियों और मीडिया घरानों की साठगांठ कुलीन या ओलगोपोलसिट्कि मीडिया स्वामतिव (oligopolistic media ownership) को बढ़ावा दे सकती है।



भारत में प्रभावी प्रसारण वनियमन के लिये आगे की राह

- व्यापक विधियाँ:
 - एक व्यापक और आधुनिक विधायी ढाँचा विकसति करें जिसमें पारंपरिक टेलीविजन, OTT प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया और उभरती प्रौद्योगिकियों सहित प्रसारण के सभी पहलू शामिल हों।
 - कंटेंट की विधिता को बढ़ावा देने के लिये प्रसारकों और कंटेंट नियमाताओं के बीच प्रतसिप्रदाया को प्रोत्साहित करें। अभियंक्तियों और दृष्टिकोणों की बहुलता सुनिश्चित करने के लिये मीडिया स्वामतिव की एकाग्रता से बचें।
- हतिधारक प्रामरशः:
 - उदयोग विशेषज्ञों, कंटेंट नियमाताओं, प्रसारकों और आम लोगों की अंतर्रूपित प्राप्त करने के लिये हतिधारक प्रामरश को प्राथमिकता दें। सुविजित वनियमन के नियमण के लिये विधिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करें।
- प्रौद्योगिकी के प्रति अनुकूलनशीलता:
 - ऐसे वनियमन डिज़ाइन करें जो प्रौद्योगिकीय प्रगति के अनुकूल हों। मीडिया प्रदृश्य की तेज़ी से विकसति हो रही प्रकृति पर विचार करें और सुनिश्चित करें कि वनियमन समय के साथ प्रासंगिक एवं प्रभावी बने रहें।
- कंटेंट वर्गीकरण और रेटिंग:
 - दरशकों के लिये स्पष्ट दशानिर्देश प्रदान करने के लिये एक सुदृढ़ कंटेंट वर्गीकरण एवं रेटिंग प्रणाली लागू करें। यह सुनिश्चित करेगा कि दरशक सूचित विकल्प चुन सकें और यह उपयुक्तता के आधार पर कंटेंट को वनियमित करने में मदद करेगा।
- स्वतंत्र नियमक नियमाय:
 - अनुपालन को लागू करने और नियरानी करने के अधिकार के साथ एक स्वतंत्र नियमक नियमाय की स्थापना करें। नियमक नियमों में पारदर्शता, निषिपक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करें।
- प्लेटफॉर्मों के लिये विभिन्न दृष्टिकोणः
 - पारंपरिक टीवी, OTT और डिजिटल मीडिया सहित प्रसारण प्लेटफॉर्मों की विधिता को चिह्निति करें। प्रत्येक प्लेटफॉर्म की विशेषित विशेषताओं और चुनौतियों को चिह्निति करते हुए वनियमन में एक विभिन्न दृष्टिकोण अपनाएँ।
- नियमिति समीक्षा और अद्यतनः:
 - वनियमों की नियमिति समीक्षा और अद्यतन के लिये एक तंत्र स्थापति करें। यह नियमक ढाँचे को तकनीकी परविरतनों, सामाजिक बदलावों और उभरती चुनौतियों से अवगत रहने की अनुमति देगा।
- स्पष्ट प्रवरतन तंत्रः:
 - नियमक उल्लंघनों के लिये स्पष्ट प्रवरतन तंत्र को प्रभाषिति करें। नियमक ढाँचे की अखंडता को बनाए रखने के लिये शक्तियात, जाँच और प्रतिविधों से नपिटने के लिये एक निषिपक्ष एवं कुशल प्रक्रिया स्थापति करें।
- मीडिया साक्षरता को बढ़ावा देना:
 - जनता को ज़मीदार मीडिया उपभोग के बारे में शक्तियात करने के लिये मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों में नविश करें। सूचित दरशक वर्ग एक सर्वस्थ मीडिया वातावरण में योगदान देता है और अत्यधिक नियमक उपायों की आवश्यकता को कम करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासः:
 - प्रसारण वनियमन में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यासों का अध्ययन करें और उन्हें शामिल करें। भारत के अद्वतीय सांस्कृतिक और

सामाजिक संदर्भ का ध्यान रखते हुए प्रभावी रणनीतियाँ अपनाने के लिये अन्य देशों के अनुभवों से सीखें।

नष्टिकरण

प्रसारण विनियमन केवल अनुपालन के बारे में नहीं है बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाने के बारे में भी है जो विकास, नवाचार और संचार सेवाओं तक न्यायसंगत पहुँच को प्रोत्साहित करे। नियमित प्रयोक्त्वणा और उद्योग स्वायत्तता के बीच इष्टटम संतुलन की तलाश कर, भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहे दूरसंचार क्षेत्र में दीर्घकालिक सफलता के लिये रणनीतिक रूप से स्वयं को स्थापित कर सकता है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में प्रसारण सेवा (विनियमन) विधियक 2023 को स्वरूप प्रदान करने से संबद्ध प्राथमिक चिताएँ कौन-सी हैं? देश में दूरसंचार क्षेत्र के लिये सुदृढ़ विनियमन स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने पर लक्षित नीतिगत रणनीतियों के सुझाव दीजिये।

विधिक अंतर्राष्ट्रीय:

प्रसारण सेवा (विनियमन) विधियक 2023

<https://www.drishtijudiciary.com/hin/recent-judgements>

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विधित वर्ष प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसके लिये साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रपिरेट करना कानूनी रूप से अनविवार्य है? (2017)

1. सेवा प्रदाताओं
2. डेटा केंद्र
3. कॉर्पोरेट नियाय

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनायिए:

- (a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. अंकीयकृत (डिजिटाइज़ेड) दुनिया में बढ़ते हुए साइबर अपराधों के कारण डाटा सुरक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है। जस्टसी बी.एन. श्रीकृष्णा समितिकी रपिरेट में डाटा की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर सोच-विचार किया गया है। आपके विचार में साइबर स्पेस में नजी डाटा की सुरक्षा से संबंधित इस रपिरेट की खबरियाँ और खामियाँ क्या-क्या हैं? (2018)